पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक विविध वाद संख्या 22746

थाना कांड संख्या-1465 वर्ष-2013 थाना-मुज़फ़्फ़रपुर शिकायत मामला जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

==========

1. नाजिया फातिमा, पति सद्दाम अहमद@सद्दाम हुसैन, पिता श्री रियाज़ अहमद।
2. मो. रियाज अहमद, पिता स्वर्गीय सफी अहमद
3. नजीरा बानो, पति मोहम्मद रायज़ अहमद
4. साकिया आज़मी, पिता मोहम्मद रियाज़ अहमद
5. नदीम अहमद, पिता मोहम्मद रियाज अहमद।

आवास संख्या 223, "आशीर्वाद" बी. एम. श्री कांतियाहा रोड, न्यू घवेंद्रस्वामी मंदिर, एस. एस. पुरम पोस्ट, तुमकुर, जिला-तुमकुर, कर्नाटक।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सहनाज़ अहमद, पति मोइनुद्दीन अहमद, निवासी नीशा बिल्डिंग, हलसाहबकी कोठी, मोहल्ला-चंदवाड़ा, थाना- नगर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.... विपरीत पार्टियाँ

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अनिसुर रहमान, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुरेन्द्र कुमार, ए०पी०पी०
विपक्षी संख्या 2 के लिए	:	श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

==========

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – परिवाद मामला के संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएँ 323 और 379 में संज्ञान लिया गया – एक आपराधिक मामला, याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 2 और उसके परिवार वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराएँ 3 आर 4 में दर्ज कराई गई थी इस परिवाद मामला के दर्ज होने के पहले – कोई

भी प्रयास नहीं किया गया था विपक्षी संख्या 2 के तरफ से घटना की सूचना उच्च आधिकारियों को देने में – परिवाद मामला शपथ – पत्र से समर्थित नहीं था – प्रियंका श्रीवास्तव और भजन लाल के मार्गदर्शक सिद्धांत संख्या 7 का अनुसरण/पालन करते हुए संज्ञान आदेश, जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है –

आवदेन अनुज्ञात किया गया (पारा 12 से 14 तक)

(2015) 6 एस.सी.सी 287; (1992) अनुपूरक (1) एस.सी.सी 335 – निर्भर किया गया|

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

समक्षः-माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः16-04-2024

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.पी.पी. को सुना गया, जिन्हें विरोधी पक्ष संख्या 02 के विद्वान वकील द्वारा उचित सहायता प्रदान की गयी|

2. यह आवेदन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर द्वारा शिकायत वाद संख्या 1465/2013/ट्र. संख्या 4298/2015 के संबंध में पारित दिनांक 19.02.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 323 और 379 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.06.2013 को 7:00 बजे शाम को, सभी आरोपी व्यक्ति-याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और कहा कि वे सुलह करेंगे और रात भर रहेंगे, जिसके बाद, शिकायतकर्ता रिश्तेदार होने के नाते उनके लिए नाश्ता तैयार करने गए। इसके बाद, आरोपी सं० 1 (याचिकाकर्ता सं 2) शिकायतकर्ता के पति ने कहा कि उसका परिवार खराब है क्योंकि शिकायतकर्ता की बेटी ने प्रेम विवाह किया है। विरोध पर, याचिकाकर्ता सं० 2 शिकायतकर्ता के पति को जमीन पर पटक दिया और उसे लात और घूंसे से मारने लगा, जिससे वह घायल हो गया। आगे आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उस पर भी हमला किया गया और उसकी सोने की चेन कीमत रु० 70, 000/- करीब भी याचिकाकर्ता सं० 1. तथा याचिकाकर्ता सं० 3 ने उसके कान की बाली ले लीं जिनकी कीमत रु० 40,000/- यह भी आरोप लगाया गया है कि बाकी अभियुक्त व्यक्ति (याचिकाकर्ता सं. 2&3) गहने और नकदी से भरा एक सूटकेस जिसकी कीमत रु० 50, 000/- थी, ले गए।

4. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। यह इंगित किया गया है कि वर्तमान और कुछ नहीं बल्कि विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा लाया गया एक गलत निहितार्थ है। उसकी बहू और उसके माता-पिता के साथ-साथ पैतृक परिवार के सदस्यों के खिलाफ याचिकाकर्ता सं0 1, अपने वैवाहिक कलह के कारण, अपने पति, सद्दाम हुसैन, जो विपक्षी संख्या 2 का बेटा है, के खिलाफ बैंगलोर में एक साथ रहने के दौरान एक शिकायत मामला दर्ज किया, जिसे आई. पी. सी. की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए महिला पुलिस स्टेशन, हलासुरू गेट, बैंगलोर शहर में आपराधिक संख्या 42/2012 दिनांक 21.04.2012 के रूप में दर्ज किया गया था। यह इंगित किया गया है कि वर्तमान आरोप बहुत ही सुनियोजित और तैयार तरीके से अप्रत्यक्ष और गुप्त उद्देश्य के साथ उठाए गए थे, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अलावा और कुछ नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान शिकायत का मामला विपक्षी संख्या 2 के बेटे के खिलाफ दर्ज किए गए उपरोक्त आपराधिक मामले के लिए समझौता करने के लिए दबाव बनाने के लिए दर्ज किया गया था। प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 का बयान गलत है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, याचिकाकर्ता सं० 2 द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त आपराधिक मामले के लंबित होने को देखते हुए भी गलत प्रतीत हो रहा है। जहाँ वह भी एक आरोपी है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कर्नाटक राज्य के स्थायी निवासी हैं और यह असंभव है कि परिवार के सभी सदस्य मुजफ्फरपुर (बिहार) आए और इस तरह की घटना को अंजाम दिया और फिर से कर्नाटक में अपने मूल स्थान पर लौट आए।

7. तर्क का समापन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई प्रयास नहीं देखा गया है। जब एफ. आई. आर. को संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज करने से इनकार कर दिया गया तो उच्च पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह आगे बताया गया है कि शिकायत याचिका भी शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं है और इस तरह, वर्तमान शिकायत पर **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिशा-निर्देश के आलोक में **2015 (6) एस. सी. सी. 287** में पक्ष रखा जाएगा। अधिवक्ता ने आगे **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य (1992) पूरक (1) एस. सी. सी. 335** पर दिए आदेश को कोर्ट के समक्ष रखा।

8. सरकार के लिए ए. पी. पी., जिसे विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की गई। वर्तमान आवेदन का विरोध करते हैं।

9. ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 के विरुद्ध सोने की चेन छीनने का विशिष्ट आरोप है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 के विरुद्ध नकदी छीनने

के आरोप उपलब्ध हैं, साथ ही याचिकाकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध मारपीट का आरोप भी उपलब्ध है।

10. **भजन लाल** (सुपरा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ '102' को प्रस्तुत किया गया, जिसे तैयार संदर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> ''102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरणार्थ मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है।
>
> (3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।
>
> (4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां

संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।''

11. प्रियंका श्रीवास्तव (सुपरा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ **'30' और '31'** को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा, जिसे तैयार संदर्भ के लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"30. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहाँ धारा 156 (3) द०प्र०स० आवेदनों को मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी। यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से दायर किए जा रहे हैं और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इसके अलावा, यह और अधिक परेशान करने वाला और खतरनाक हो जाता है जब कोई एक वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह एक आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

> **31**. हम पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए।आवेदन और उस प्रभाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए द०प्र०स० कि धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत हो और यह भी देखने का प्रयास करे कि कोई गलत हलफनामा नहीं दिया गया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।यह उसे धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार को आकस्मिक रूप से लागू करने से रोकेगा।इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी सत्यता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवादों, वाणिज्यिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों और आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/बाधाओं से संबंधित कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि ललिता कुमारी में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी पता होगा।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि इस शिकायत मामले को दर्ज करने से पूर्व याचिकाकर्ता संख्या 1, जो ओ.पी. संख्या 2 की पुत्रवधू है, द्वारा अप्रैल, 2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध के लिए आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। दोनों परिवार कर्नाटक में रह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.पी. संख्या 2 मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, जबकि याचिकाकर्ता कर्नाटक राज्य के स्थायी निवासी हैं। वर्तमान मामला याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा ओ.पी. संख्या 2 एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कर्नाटक में आपराधिक मामला दर्ज कराए जाने के पश्चात दर्ज कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा उच्च अधिकारियों को घटना के संबंध में सूचित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, शिकायत के साथ हलफनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. तदनुसार, प्रियंका श्रीवास्तव (सुप्रा) और भजन लाल केस (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेष रूप से

दिशानिर्देश संख्या (7) को ध्यान में रखते हुए, शिकायत मामला संख्या 1465/2013/ट्र. संख्या 4298/2015 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 19.02.2015 के संज्ञान के विवादित आदेश और उसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों को अपास्त और रद्द किया जाता है।

14. आवेदन की स्वीकृति है।

15. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायाधीश)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।